न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4122–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 120/2013–14/अपील.

1– विजय सिंह पुत्र ज्ञानसिंह
2– बृजेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञानसिंह
3– वीरू पुत्र ज्ञानसिंह
4– ज्ञानसिंह पुत्र स्व. पतिराम कुशवाह
निवासीगण पटियावाला मोहल्ला
सिकन्दर कम्पू, लश्कर ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कल्लोबाई पत्नी मोहन सिंह कुशवाह
निवासी समाधिया कॉलौनी
तारागंज, लश्कर, ग्वालियर
2– श्रीमती द्वारिका पत्नी बाबूलाल
पुत्री स्व. पतिराम कुशवाह
निवासी ग्राम ठाठी सिमिरिया
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 कल्लोबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–12 के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 4–1–2014 को लगभग 1 वर्ष 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई, और अपील विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–11–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान भिन्न–भिन्न पते पर निवास किया गया है । जिस समय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, उस समय उसका निवास समाधिया कॉलौनी तारागंज था । इसके पश्चात वह मकान बदलकर पटियावाला मोहल्ला, सिकन्दर कम्पू में निवास करने लगी, अतः न्याय की दृष्टि से अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अपना पक्ष समर्थन करने के उद्देश्य से पटियावाला मोहल्ला, सिकन्दर कम्पू लश्कर के पते पर सूचना पत्र की तामीली कराई गई है । ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लिया गया यह आधार उचित नहीं है कि वह समाधिया कॉलौनी में निवासी करती थी, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सूचना पत्र की तामीली पटियावाला मोहल्ला, सिकन्दर कम्पू में कराई गई है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी अनावेदिका को प्रारंभ से ही रही है, और उसके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष स्पष्टतः अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समयावधि में मान्य करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाधिया कॉलौनी के पते पर भी तामीली भेजी गई थी, जो वापिस प्राप्त होने पर उसके निवास स्थान पटियावाला मोहल्ला, सिकन्दर पर तामील कराई गई है ।

(3) अनावेदिका कमांक 1 द्वारा जनवरी में फसल मांगने पर आदेश की जानकारी होने का उल्लेख किया गया है, जबकि जनवरी में कोई फसल नहीं होती है ।

तर्कों के समर्थन में 1992 आर.एन. 289 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण की कोई जानकारी नहीं रही है, न ही आदेश की जानकारी है, और जब वह दिनांक 1–1–2014 को अपने फसल का हिसाब मांगने गई, तब उसे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी हुई, और उसके द्वारा तत्काल कार्यवाही कर अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय–सीमा में मान्य करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आदेशिका में अनावेदकगण को तामील जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु वास्तव में कोई तामील जारी नहीं की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेशिका में तलवाना प्रस्तुत किया जाये, और तलवाना पेश होने पर तामील जारी किए जाने का उल्लेख है, परन्तु उनके समक्ष तलवाना प्रस्तुत नहीं हुआ है । आदेश पत्रिका में रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील कराये जाने के कोई निर्देश नहीं हैं, इसके बावजूद भी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील कराया जाना विधि विरूद्ध है ।

(4) अनावेदिका कमांक 1 पर पटियावाला मोहल्ला, सिकन्दर कम्पू के पते पर तामीली भेजी गई है, जबकि उसका परिवार कभी भी उस मोहल्ले में निवासरत नहीं रहा है, और वह शुरू से ही समाधिया कॉलौनी, तारागंज में निवास करती है ।

(5) रजिस्टर्ड ए.डी. पर अनावेदिका कमांक 1 का फर्जी अंगूठा लगाकर तामाली कराई गई है, जो कि विधि विरूद्ध है ।

(6) अनावेदिका कमांक 1 पर तामीली कराये जाने में तामीली नियमों का पालन नहीं किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 111 एवं 2014 आर.एन. 116 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभगीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को गलत पते पर सूचना पत्र जारी कर उनको तामीली कराई गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी

अनावेदकगण को नहीं होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर